

प्रपत्र सं० 60

(नियम 114वीं का तीसरा प्रावधान देखें)

घोषणा प्रपत्र, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाएगा, जिसके पास न तो स्थायी लेखा संख्या है और न ही सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या तथा जो नियम 114वीं के (क) से (ज) खंडों में निर्दिष्ट सौदों के बारे में नकद भुगतान करता है।

1. घोषणाकर्ता का पूरा नाम व पता.....
.....
.....
2. सौदे का विवरण
3. सौदे की राशि
4. क्या आपका कर निर्धारण होता है ? हाँ/नहीं
5. यदि हाँ,
(i) वार्ड/सर्किल/रेंज का ब्यौरा, जहाँ अन्तिम आय रिटर्न दाखिल की गई थी ?
(ii) स्थायी लेखा संख्या/सामान्य इंडेक्स पंजीकरण संख्या न होने के कारण ?
6. कालम (1) में पते की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज
.....

सत्यापन

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ
कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त सही है।
आज 201..... के.....महीने की.....तिथि को सत्यापित
तिथि.....
स्थान.....

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

अनुदेश : पते की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जा सकने वाले दस्तावेज :-

- (क) राशन कार्ड
- (ख) पासपोर्ट
- (ग) वाहन चालक लाइसेंस
- (घ) किसी संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र
- (ङ) निवास का पता दर्शाने वाले बिजली या टेलीफोन बिल की प्रति
- (च) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के किसी प्राधिकारी द्वारा जारी निवास का पता दर्शाने वाला कोई दस्तावेज या पत्र
- (छ) अन्य कोई दस्तावेजी सबूत जो घोषणा में दिए उसके पते की पुष्टि करता हो।